



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 25 नवम्बर, 2014 / 4 अग्रहायण, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th November, 2014

No. TPT-C(9)-11/2002.—The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested under Section (6) of section -41 of the Motor Vehicles Act, 1988(No.59 of 1988) and all other powers enabling her in this behalf is pleased to allot/release registration marks/number

from **Sr. No. 101 to 9999** under the Registration Mark **HP-84** to Registering and Licensing Authority, Sujanpur Distt Hamirpur, Himachal Pradesh, for registration of motor vehicles, with immediate effect.

By order,
(AJAY MITTAL)
Additional Chief Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd November, 2014

No. TPT-C(9)-8/2002.— The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested under Section (6) of section -41 of the Motor Vehicles Act, 1988(No.59 of 1988) and all other powers enabling her in this behalf is pleased to allot/release registration marks/number from **Sr. No. 101 to 9999** under the Registration Mark **HP-12-G** to Registering and Licensing Authority, Nalagarh Distt Solan, Himachal Pradesh, for registration of motor vehicles, with immediate effect.

By orderm,
(AJAY MITTAL)
Additional Chief Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th November, 2014

No. TPT-C(9)-7/2003.—The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested under Section (6) of section -41 of the Motor Vehicles Act, 1988(No.59 of 1988) and all other powers enabling her in this behalf is pleased to allot/release registration marks/number from **Sr. No. 101 to 9999** under the Registration Mark **HP-85** to Registering and Licensing Authority, Shillai Distt Sirmour, Himachal Pradesh, for registration of motor vehicles, with immediate effect.

By order,
(AJAY MITTAL)
Additional Chief Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th October, 2014

No. TPT-C(9)-1/2014.—The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested under Section -14(3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No:4 of 1973) and all other powers enabling in her in this behalf, is pleased to exempt the Vehicle No. HP-17B-7444 (PSV Car) which is registered in name of M/S Prabandhak Committee, Gurudhwara

Paonta Sahib Distt. Sirmour, HP from the payment of Token Tax as the vehicle is used for carrying Guru Grandh Sahib by the Committee *i.e.* religious purpose and without any hire or reward.

By order,
(AJAY MITTAL)
Additional Chief Secretary (Transport).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st November, 2014

No. HHC/Admn.6 (20)/77-XVIII.—It is notified for information of the general public that the holidays and vacations to be observed by the High Court of H.P. during the calendar year 2015 shall be as follows:--

HOLIDAYS FOR THE HIGH COURT

GAZETTED HOLIDAYS

Name of holiday(s)	Date(s) on which these fall.	Day or Days of the week
All Sundays		
All Second Saturdays		
Republic Day	26 th January	Monday
Maha Shivratri	17 th February	Tuesday
Holi	06 th March	Friday
Ram Navami	28 th March	Saturday
Good Friday	03 rd April	Friday
Dr. B.R. Ambedkar's Birthday	14 th April	Tuesday
Himachal Day	15 th April	Wednesday
Idu'l Fitr	17 th July	Friday
Independence Day	15 th August	Saturday
Raksha Bandhan	29 th August	Saturday
Janmashtami	05 th September	Saturday
Idu'l Juha	25 th September	Friday
Mahatma Gandhi's Birthday	02 nd October	Friday
Dussehra Holidays	19 th October	Monday
	to	to
	24 th October	Saturday
Deepawali Holidays	11 th November	Wednesday
	to	to
	13 th November	Friday
Guru Nanak Dev's Birthday	25 th November	Wednesday
Christmas	25 th December	Friday

- NOTE.**—1. The calendar does not indicate the holiday on account of Statehood day(25-1-2015) being Sunday.
2. Saturdays(28th February, 21st March, 18th April, 25th April, 2nd May, 16th May & 23rd May, 2015) shall be court working days.
3. 13th April, 2015 shall be High Court's holiday.

VACATIONS:

- i) Winter vacation will be observed in the High Court from 12-1-2015 to 21-2-2015.
- ii) Summer vacation will be observed in the High Court from 8-6-2015 to 12-6-2015.

Note.— Limitation will not run during the vacations and Gazetted holidays.

By order of the Hon'ble High Court
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st November, 2014

No.HHC/Admn.6 (20)/77-XVIII.— It is notified for information of the general public that the holidays and vacations to be observed by the Subordinate Courts in H.P. during the calendar year 2015 shall be as follows:--

HOLIDAYS FOR THE SUBORDINATE COURTS

GAZETTED HOLIDAYS

Name of holiday(s)	Date(s) on which these fall.	Day or Days of the week
All Sundays		
All Second Saturdays		
Republic Day	26 th January	Monday
Maha Shivratri	17 th February	Tuesday
Holi	06 th March	Friday
Ram Navami	28 th March	Saturday
Good Friday	03 rd April	Friday
Dr. B.R. Ambedkar's Birthday	14 th April	Tuesday
Himachal Day	15 th April	Wednesday
Idu'l Fitr	17 th July	Friday
Independence Day	15 th August	Saturday
Raksha Bandhan	29 th August	Saturday
Janmashtami	05 th September	Saturday
Idu'l Juha	25 th September	Friday
Mahatma Gandhi's Birthday	02 nd October	Friday
Dussehra Holidays	19 th October	Monday
	to	to
	24 th October	Saturday
Deepawali Holidays	11 th November	Wednesday
	to	to
	13 th November	Friday
Guru Nanak Dev's Birthday	25 th November	Wednesday
Christmas	25 th December	Friday

- NOTE.—** 1. The calendar does not indicate the holiday on account of Statehood day(25-1-2015) being Sunday.
2. The District and Sessions Judges at their discretion shall declare two holidays in the calendar year on the occasion of important fairs and festivals peculiar to the places, within their respective jurisdiction.

VACATIONS:

- i) Vacation in the winter zone in Subordinate Courts will be observed from 19-1-2015 to 13-2-2015.
- ii) Vacation in the summer zone in Subordinate Courts will be observed from 22-6-2015 to 18-7-2015.

Note.— Limitation will not run during the vacations and Gazetted holidays.

By order of the Hon'ble High Court
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st November, 2014

No. HHC/Admn.6 (20)/77-XVIII.—It is hereby notified for general information that the High Court of Himachal Pradesh shall remain closed for the winter vacation from January 12, 2015 to February 21, 2015 and for summer vacation from June 8, 2015 to June 12, 2015. The High Court will resume its sitting from Monday the 23rd February, 2015 and Monday the 15th June, 2015, after observing winter and summer vacations/gazetted holidays.

The Office of the High Court will remain open during the winter and summer vacations and will receive from parties and persons such petitions and other documents as they may choose to present. All petitions and applications falling under the civil jurisdiction of the Court, which are not of an urgent nature, will be listed after the reopening of the Court.

Urgent Criminal and Civil matters shall continue to be heard during the Vacations by the Vacation Judges.

Limitation will be regulated as per Section 4 of the Limitation Act, 1963 during the vacations/ holidays.

By order of the Hon'ble High Court
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 21st November, 2014*

No. HHC/Admn.6 (20)/77-XVIII.—It is hereby notified for general information that Civil Courts in Himachal Pradesh shall remain closed for annual vacation as under:

Civil Courts in Winter Zone, comprising of Districts Shimla, Mandi, Bilaspur, Solan (Except the Courts of Civil Judges (Sr. Division/Jr. Division), Nalagarh), Kinnaur, Kangra, (Except the Courts of Civil Judges (Sr. Division/Jr. Division), Nurpur, Indora, Dehra and Jawali), Lahaul and Spiti, Chamba, Sirmour (Except the Courts of Civil Judges (Sr. Division/Jr. Division), Paonta Sahib), Kullu and Hamirpur will observe the annual vacation from January 19, 2015 to February 13, 2015.

Civil Courts in Summer Zone comprising of Districts Una and the Courts of Civil Judges (Sr. Division/Jr. Division) Nalagarh in Solan District, Courts of Civil Judges (Sr. Division/Jr. Division), Nurpur, Indora, Dehra and Jawali in Kangra District and Paonta Sahib in Sirmour District will observe the annual vacation from June 22, 2015 to July 18, 2015.

Limitation will be regulated as per Section 4 of the Limitation Act, 1963 during the Vacations/ Holidays.

By order of the Hon'ble High Court
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 20th November, 2014*

No. HHC/GAZ/14-53/74-V.— Consequent upon the appointment of Shri D.K.Sharma, District and Sessions Judge, Solan as Legal Remembrancer-cum-Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh vide notification No. Per (AI)B(2)-11/84-II dated 20-11-2014, issued by the Chief Secretary, to the Government of Himachal Pradesh, the Hon'ble High Court of H.P. has been pleased to order to relieve the above named officer from the present assignment, with immediate effect to enable him to join new assignment.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Dated : 13th November, 2014*

No. HHC/Estt.3(509)/2000-I.— 04 days earned leave (extended period) on and *w.e.f.* 18-10-2014 to 21-10-2014, is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Subhash Chand Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Subhash Chand Sharma has joined the same same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Chand Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on above leave.

By order,
Sd/-
Registrar General

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Dated : 19th November, 2014*

No. HHC/Admn.3(331)/92-I.—16 days earned leave on and *w.e.f.* 26-11-2014 to 11-12-2014, is hereby sanctioned, in favour of Shri Davinder Chopra, Deputy Registrar, of this Registry.

Certified that Shri Davinder Chopra is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Davinder Chopra would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceedings on above leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001**NOTIFICATION***Shimla the 17th November, 2014*

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge (I), Mandi, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in

respect of the Court of District and Sessions Judge, Mandi and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head “2014-Administration of Justice” **with immediate effect** till Sh. Baldev Singh, District and Sessions Judge, Mandi returns from earned leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th November, 2014

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon’ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM, Dehra, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (II), Dehra and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head “2014-Administration of Justice” during the earned leave period of Ms. Akshi Sharma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (II), Dehra *w.e.f.* 6-12-2014 to 20-12-2014 with permission to suffix Sunday falling on 21-12-2014 or till she returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Dated : 13th November, 2014

No. HHC/Estt.3(509)/2000.—05 days earned leave on and *w.e.f.* 10-11-2014 to 14-11-2014, with permission to prefix Gazetted holidays, Second Saturday and Sunday falling from 06-11-2014 to 09-11-2014 is hereby sanctioned, in favour of Shri Subhash Chand Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Subhash Chand Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Chand Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on above leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Dated : 19th November, 2014*

No. HHC/Estt.3(406)/95-I.— The following kinds of leave is hereby sanctioned, ex-post-facto in favour of Shri Gopal Swaroop Kaushal, Secretary of this Registry:

- (i) 05 days earned leave on and *w.e.f.* 22-09-2014 to 26-09-2014, with permission to prefix Sunday on 21-09-2014.
- (ii) 04 days earned leave on and *w.e.f.* 07-10-2014 to 10-10-2014, with permission to prefix Dussehra holidays from 28-09-2014 to 06-10-2014 and suffix second Saturday & Sunday on 11-10-2014 & 12-10-2014.
- (iii) 03 days earned leave *w.e.f.* 03-11-2014 to 05-11-2014.

Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on above leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री Om Parkash

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Om Parkash पुत्र श्री Khazana Ram, निवासी Sihund, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता श्रीमती Shukantla Devi की मृत्यु दिनांक 16-6-1974 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्रीमती Shukantla Devi की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3-12-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 1-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री सालिग्राम पुत्र गोपालू, निवासी गांव सिहूवाँ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—कागजात माल में नाम की दुरुस्ती हि0 प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।

श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री सालिग्राम पुत्र गोपालू, निवासी गांव सिहूवाँ, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित आवेदन—पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम मिलाप चन्द है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मोहरू में मिलाप सिंह दर्ज है, जो कि गलत है। दुरुस्ती की जाये।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि राजस्व अभिलेख में सही नाम दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10—12—2014 को प्रातः 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में पेश कर सकता है। यदि उपरोक्त नाम दुरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11—11—2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री वन्त राम, निवासी गांव भेरों, डाकघर नरेटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—कागजात माल में नाम की दुरुस्ती हि0 प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री वन्त राम, निवासी गांव भेरों, डाकघर नरेटी, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित आवेदन—पत्र गुजारा है कि मेरा सही नाम कुलदीप कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल भेरों—रैत व ठिरडी में कुलदीप चन्द दर्ज है, जो कि गलत है। दुरुस्ती की जाये।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि राजस्व अभिलेख में सही नाम दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10—12—2014 को प्रातः 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में पेश कर सकता है। यदि उपरोक्त नाम दुरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब-तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती Tamding Dolma

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Tamding Dolma पुत्री श्री Thinley Wangdue, निवासी Dharamshala, मौजा Dharamshala तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tenzin Kunsel की जन्म तिथि 21-5-2007 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में उक्त तिथि पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-12-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती Chandresh Kumari

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Chandresh Kumari पत्नी श्री Kalyan Chand, निवासी old Chari Road K. B. Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Priya Kumari की जन्म दिनांक 26-6-2006 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Priya Kumari की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3-12-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 3-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

कफायत उल्ला खान

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

कफायत उल्ला खान पुत्र हिदायत उल्ला खान, निवासी नागनपट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता रहीम बीवी की मृत्यु दिनांक 25-6-1998 है परन्तु ग्राम पंचायत वण्डी में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त रहीम बीवी की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-12-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 3-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री Shikhar Mahajan

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Shikhar Mahajan पुत्र श्री Suman Mahajan, निवासी Lower Baral, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Arisha Mahajan की जन्म दिनांक 3-3-2012 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Arisha Mahajan की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-12-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 1-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती Tenzin Saldon

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Tenzin Saldon पुत्री श्री Sonam Wangdue, निवासी Fosythganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Sonam Wangdue की जन्म दिनांक 24-1-1986 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sonam Wangdue की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-12-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 1-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री Ashok Kumar

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Ashok Kumar पुत्र श्री Daljeet Singh, निवासी Civil Line Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पत्नी श्रीमती Suman Devi की मृत्यु दिनांक 4-2-1998 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्रीमती Suman Devi की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-12-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 1-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री हरनाम सिंह राणा पुत्र श्री सन्त राम राणा, निवासी कूँसल, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरनाम सिंह राणा पुत्र श्री सन्त राम राणा, निवासी कूँसल, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र राज कुमार राणा का जन्म दिनांक 18-6-1981 को महाल कूँसल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 1-12-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असातन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 28-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती सोमा देवी पुत्री श्री महन्त राम, निवासी रूपेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सोमा देवी पुत्री श्री महन्त राम, निवासी रूपेहड़, डाकखाना चढ़ियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती शीला देवी की मृत्यु दिनांक 14-1-1994 को महाल रूपेहड़ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असातन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 10-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी० सी० ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री डी० सी० ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

श्रीमती सोमा देवी पुत्री श्री महन्त राम, निवासी रूपेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सोमा देवी पुत्री श्री महन्त राम, निवासी रूपेहड़, डाकखाना चढ़ियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री महन्त राम की मृत्यु दिनांक 2-7-1985 को महाल रूपेहड़ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 10-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी० सी० ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री डी० सी० ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

श्री गुड्डू राम पुत्र श्री किरू राम, निवासी झिकली भेट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुड्डू राम पुत्र श्री किरू राम, निवासी झिकली भेट, डाकखाना झिकली भेट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती आशा देवी की मृत्यु दिनांक 20-2-2013 को महाल झिकली भेट में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 8-1-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 5-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी० सी० ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

**In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Smt. Babita Gupta w/o Shri Rajeev Gupta, r/o Mathura Cottage Opp. Panchayat Bhawan/Milap Dhaba, Cart road, Shimla, Himachal Pradesh .. *Applicant.*

Versus

General Public

.. *Respondent.*

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Babita Gupta w/o Shri Rajeev Gupta, r/o Mathura Cottage Opp. Panchayat Bhawan/Milap Dhaba, Cart road, Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name & date of birth of his son namely Mohak Gupta whose date of birth is 16-3-1996 in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court from one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and case will be decided accordingly.

Given under my hand and the seal of the Court on this 22nd day of November, 2014.

Seal.

G. C. NEGI,
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.*